

## आदेश पत्रक

केश सं० -  
केश का प्रकार -

सत्र- 24/6/1807  
हल्का सं० ..... पटना सदर

आदेश की तारीख	आदेश और पदधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में
---------------	-------------------------------	----------------------------------

10/05/13

आवेदक / आवेदिका (1) श्री प्रभात कुमार शैतजी  
 S1 स्व० विनय कृष्ण शैतजी सा० चैतन्यपुरा मेसरे कल्लु  
 बाबू जालपन्दा, मेसरे कल्लु बाबू लल्लु बाबू सा० पडारमेन्द्र  
 मिश्रा पि० कोलकाता (2) श्री चन्द्रकृष्ण शैतजी पिता-  
 स्व० विनयकृष्ण शैतजी  
 सा० चवलपुरा कोठी अण कृष्ण रोड, भागा चौक हुला  
 जिला ..... के वाला S119 ..... दिनांक 09/09/1201।  
 कं आधार पर निम्नांकित भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दिया है।

### जमीन का विवरण:-

महल्ला	वार्ड नं०	शीट नं०	सर्किल नं०	हो० नं०	म्य० प्लॉट नं०	रकबा
गल्लुबाबू हाकुचा	28/34	258	187	50	1519	कचुड 01-03-म्य (रकबा 1519) कचुड

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन देने हेतु  
 दं। अभिलेख दिनांक ..... 16/11/13 को रखे।

<p><i>MS</i></p> <p>अंचलाधिकारी पटना सदर</p>	<p><i>MS</i></p> <p>अंचलाधिकारी पटना सदर</p>
--	--

अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है, जाँ अभिलेख के साथ संलग्न है। पक्ष आग महाल रैयत को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ..... 24/5/13 को सुनवाई हेतु रखें।

30/05/13

<p><i>MS</i></p> <p>अंचलाधिकारी पटना सदर</p>	<p><i>MS</i></p> <p>अंचलाधिकारी पटना सदर</p>
--	--

अभिलेख उपस्थापित, महाल पर नोटिस तामिला प्राप्त है। सुनवाई के समय कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने प्रतिवेदित किया है, कि आवेदित भूमि का जमावन्दी कायम नहीं हैं। दिनांक 01.01.1956 से ..... प्रति कट्टा अलावे शेष की दर से लगान वसूली हेतु अनुशंसा किया है। अतः इनके अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त भूमि का लगान दिनांक 01-01-1956 से ..... प्रति कट्टा अलावे शेष दर से राजस्व लगान वसूल करने की ..... दी जाती है।  
 शुद्धि पत्र निर्गत करें।  
 लेखापति एवं संशोधित।

<p><i>MS</i></p> <p>अंचलाधिकारी पटना सदर</p>	<p><i>MS</i></p> <p>अंचलाधिकारी पटना सदर</p>
--	--